मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः30.09.2025

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिलाने व आर्थिक मदद आदि का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार -

दिनांक 29.09.2025 को थाना क्षेत्र अहरौरा क्षेत्र अन्तर्गत हिन्दू धर्मावलम्बियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में संपरिवर्तन कराने सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में वादी श्री इन्द्रासन पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी कंचनपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0 230/25 धारा- 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्मसंपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 बनाम देव सहायम डैनियल राज पुत्र देव बिचईया निवासी टी0एन0 कुदकुड़ी थाना पुलियनगुड़ी जनपद तेनकाशी तमिलनाडु तथा मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल नि0 भरौलियॉ थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 आशीष कुमार सिंह थाना अहरौरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा तत्काल टीमें बनाकर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन के निर्देश दिये गये।

थाना अहरौरा की पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जॉच की गयी तो पाया गया कि चर्च में कुछ लोगों को धर्मपरिवर्तन कराने के लिए एकत्र किया गया है और उन्हें प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कियाजा रहा है। इस अवैध कार्य में संलिप्त 02 व्यक्तियों क्रमशः देव सहायम डैनियल राज पुत्र देवबिचईया निवासी टी0एन0 कुदकुड़ी थाना पुलियनगुड़ी जनपद तेनकाशी तमिलनाडु तथा मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल नि0 भरौलियॉ थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी।

पूछताछ का विवरण- देव सहायम डैनियल राज उपरोक्त ने बताया कि उसको इण्डियन मिशनरीज सोसाइटी तिरूनिवेली (तमिलनाडु) के द्वारा अहरौरा व नौगढ़ (चन्दौली) क्षेत्र का फील्ड इंचार्ज नियुक्त कर भेजा गया है और वर्तमान में सेन्ट माइकल चर्च सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर में रहकर इण्डियन मिशनरीज सासाइटी के लिए जुलाई 2025 से काम कर रहा है। इसके पहले मधुपुर सोनभद्र में कार्यरत था। इण्डियनमिशनरीज सोसाइटी में उसको अहरौरा व नौगढ़ (चन्दौली) के क्षेत्रों में निर्बल/पिछड़े/आदिवासी वर्ग के लोगों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के नाम पर चंगाई प्रार्थना सभा का चर्च में आयोजन कर के तथा गॉव गॉव अपने प्रचारकों के माध्यम से प्रार्थना सभा करके तथा लोगों को आर्थिक मदद आदि करके जोड़ा जाता है तथा धीरे-धीरे उनको प्रभु यीशु के चमत्कारी स्वरूप बताकर उनको प्रलोभन व शैतानी भय दिखाकर धर्मान्तरण कराया जाता है। अहरौरा क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष से कोई फील्ड इन्चार्ज नियुक्त नहीं था क्योंकि पुलिस द्वारा पूर्व में अवैध रूप से बनी दो चर्चों का ध्वस्तीकरण करके मुकदमें लिखे गये थे तब से यहॉ पर गतिविधियॉ बन्द थी। जुलाई 2025 से पुनः मुझे इस कार्य को करने के लिए भेजा गया है।

अहरौरा क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मेरे अधीन 08 (Evangelist) नियुक्त हैं, जिनको इण्डियन मिशनरीज सोसाइटी तिरूनिवेली द्वारा वेतन भत्ता तथा प्रार्थनासभा कराने के लिए धन मुहैया कराया जाता है। यह प्रचारक गॉव गॉव जाकर खास तौर निर्बल/पिछड़े/आदिवासी समाज को मिशन से जोड़ते हैं और उनको ईसाई धर्मस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का कार्य सिखाने के बहाने जोड़ा जाता है और उनको प्रार्थना सभाओं में ले जाकर धीरे-धीरे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देकर

तथा समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये सामान/पैसा आदि देते हुये पवित्र बाई बिल भी उनको दी जाती है और बाईबिल की शिक्षाओं को पढ़ने तथा प्रभु यीशु के गीत गाने के लिए प्रोत्साहित कर और धीरे-धीरे उनका धर्मान्तरण कराया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01-देव सहायम डैनियल राज पुत्र देव बिचईया निवासी टी0एन0 कुदकुड़ी थाना पुलियनगुड़ी जनपद तेनकाशी तमिलनाडु।

02-मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल नि0 भरौलियॉ थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

03-ओमप्रकाश पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी रजौली थाना अदलहाट मीरजापुर।

04-पारस सोनकर पुत्र कल्लू सोनकर निवासी अनगढ़ रोड पुरानी अंजही थाना को0कटरा मीरजापुर।

05-थामस राम सेवक पुत्र स्व0 रामजीत निवासी करवदिया थाना चकिया जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास-

01- अभि0 डैनियल शंकर उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0-244/2023 धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021, 447 भादवि व 41/42 भारतीय वन अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर में पंजीकृत होकर आरोप पत्र मा0 न्या0 प्रेषितहै।

बरामदगी का विवरण-

(01) सैलरी वेतन भत्ता, खर्चा सम्बन्धी रजिस्टर, डोनेशन रजिस्टर तथा धर्मान्तरण में संलिप्त व्यक्तियों का व्यक्तिगत डेटा, धर्मान्तरण कराये गये व्यक्तियों से सम्बन्धितर जिस्टर।

(02)-मोबाइल फोन-04, लैपटाप-01, डीवीआर-01 जिसमें महत्वपूर्ण डिजीटल साक्ष्य उपलब्ध है, जो जब्त किये गये है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

01- सदानन्द सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर मय टीम।

02- उ0नि0 आशीष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी अहरौरा नगर, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।

03- राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मीरजापुर मय टीम।

04- मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांष सेल मय टीम।

****